क.

केंद्रीय कर और सेवा कर के आयुक्त,

रोहतक

वी.

मेरिनो पैनल प्रोडक्ट लिमिटेड। (2018 की सिविल अपील संख्या 6891)

05 दिसंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -धारा 4 (1) (ए)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000-आरआर।9, 11 – सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा निर्धारिती-प्रत्यर्थी को जारी किए गए कारणदर्शक नोटिस को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि उसने संबंधित पक्ष लेनदेन का मूल्यांकन करने का गलत तरीका अपनाया था।संबंधित पक्ष की बिक्री के लिए आकलन योग्य मूल्य सामान्य मूल्य यू/एस का उल्लेख करके स्थापित किया जा सकता है।4(1)(क) सी. ई. ए. का, जो वर्तमान मामले में आसानी से उपलब्ध है-यह 01.07.2002 के सी. बी. ई. सी. परिपत्र में अंतर्निहित सही अर्थ और इरादा है-आर का संदर्भ।11 परिपत्र के बिंदु संख्या 12 में केवल एस को ध्यान में रखते हुए "उचित साधनों" के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।4(1)(क) सी. ई. ए. और आर.9 सी. ई. वी. आर.-यह केवल एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राजस्व को स्वतंत्र और संबंधित दोनों पक्षों को आंशिक बिक्री के मामले में अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है-01.07.2002 के परिपत्र में बिंदु संख्या 12 सी. ई. ए. और सी. ई. वी. आर. के इरादे के विपरीत नहीं है और इसके पीछे का उद्देश्य केवल "उचित साधनों" का उपयोग करना है जैसा कि यू/आर में उल्लिखित है।11 सी. ई. वी. आर. का, एस. के अनुरूप।4(1)(क) सी. ई. ए. और आर.9 सी. ई. वी. आर. का, ताकि उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए माल के आकलन योग्य मूल्य तक पहुँचा जा सके-जब लेन-देन में सामान्य रूप से ली जाने वाली सामान्य कीमत उपलब्ध हो, जहां कीमत ही लेन-देन का एकमात्र विचार है, जैसा कि यह यहाँ है, तो उस कीमत को संबंधित पक्ष की खरीद पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है, ताकि आकलन योग्य मूल्य पर पहुँचा जा सके-इसलिए, प्रत्यर्थी की सहयोगी संस्थाओं को बेचे गए माल के मूल्य के बारे में आयुक्त का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों के अनुरूप है और परिपत्र दिनांक 01.07.2002-अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग की पुष्टि की जाती है, हालांकि, संबंधित पक्ष की खरीद पर ब्याज और जुर्माना लगाने की मांग की पुष्टि की जाती है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड।

प्रत्यर्थी स्वीकृत नहीं है-इन राशियों को निर्धारिती से कुल वसूली योग्य राशि से कम किया जाना चाहिए।

कर/कराधान-आयोजितःकराधान कानून में पूर्वानुमेयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और, इस कारण से, न्यायालय को राजस्व के इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उसके अपने परिपत्र-अपने स्वयं के परिपत्र के खिलाफ राजस्व का रुख संभावित रूप से एक अराजक स्थिति का कारण बन सकता है जहां, एक तरफ, राजस्व प्रासंगिक कानूनों और नियमों की व्याख्या करने के बारे में निर्देश निर्धारित करेगा, और दूसरी तरफ, वह तुरंत उन निर्देशों की अवज्ञा करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -धारा 4 (1) (ए), (बी)-आयोजितःसिद्धांत यू/एस।4(1) सी. ई. ए. के माल के 'मूल्य' के निर्धारण की दिशा में तैयार हैं-एस के तहत।4(1)(क) उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य, उन वस्तुओं का 'सामान्य मूल्य' माना जाता है जो व्यापार के दौरान 'सामान्य रूप से बेचे जाते हैं' और जहां मूल्य लेनदेन के लिए 'एकमात्र विचार' है-यह केवल तभी होता है जब इसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध लेनदेन के सेट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।4(1)(ख) आश्रय लिया जाता है।

ग

डी.

उत्पाद शुल्क-संबंधित लेन-देन पर उत्पाद शुल्क का निर्धारण-आयोजितःकर योग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए स्वतंत्र पक्षों से ली गई कीमत का उपयोग संबंधित लेनदेन पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जा सकता है जब ऐसी कीमत आसानी से उपलब्ध हो-हालांकि, जब इस तरह की गणना हस्तांतरण के माध्यम से की जाती है, तो राजस्व एक यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर सकता है-संबंधित पक्ष के लेनदेन के उचित मूल्य का मूल्यांकन प्रासंगिक सामग्री और उचित दिमाग पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए-कारण बताएँ नोटिस जारी करने और निर्धारिती द्वारा रखे गए विशिष्ट कारकों पर विचार करने की पूरी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्र खरीदारों को बिक्री के मूल्य का उपयोग संबंधित पक्षों को बिक्री के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए-एस के सामान्य सिद्धांत।4(1) सी. ई. ए., आर/डब्ल्यू. आर.11 सी. ई. वी. आर. का उद्देश्य उन मामलों में वस्तुओं के "सामान्य मूल्य" और "मूल्य" के निर्धारण के लिए एक मार्ग प्रदान करना है जहां कोई वैकल्पिक पद्धति लागू नहीं है-यह दिनांकित परिपत्र 01.07.2002 के अनुरूप होने और सी. ई. ए. और सी. ई. वी. आर.-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के विभिन्न प्रावधानों को सुसंगत बनाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। धारा 4 (1)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 -आर. 11.

ई.

च

जी.

एच.

क.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -धारा 4 (1)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के तहत अनुमान।9,11.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज (2008) 13 एस. सी. सी. 1:[2008]

14 एस**.** सी**.** आर**. 653-**अनुसरण किया गया।

द पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (1999) 7 एससीसी 84; रानादेय सूक्ष्म पोषक तत्व और अन्य।केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (1996) 10 एस. सी. सी. 387:

[1996] 5 पूरक।एससीआर 755; कल्याणी पैकेजिंग

उद्योग बनाम भारत संघ **(2004) 6** एस**.** सी**.** सी**. 719;** केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** मुंबई बनाम एफ**.** आई**.** ए**.** टी**.** इंडिया

ग

(पी) लिमिटेड और अन्य। (2012) 9 एससीसी 332:[2012] 12 एससीआर

975 ; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** अहमदाबाद बनाम

जेरोग्राफिक लिमिटेड (2006) 9 एससीसी 556; एसएसीआई संबद्ध

प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यू. पी. बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

मेरठ (2005) 7 एससीसी 159:[2005] 3 एस. सी. आर. 881-निर्भर।

डी.

एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशंस बनाम सीसीई। **2003** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन सी**.** ई**.** जी**.** ए**.** टी**. 119;** रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम सी**.** सी**.** ई**.,** सूरत **2009**

एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ई. एस. टी. ए. टी. 3384; जे. के. स्टील लिमिटेड बनामसंघ

भारत का [1969] 2 एस. सी. आर. 481; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता बनाम प्रद्युम्न स्टील लिमिटेड (2003) 9 एस. सी. सी. 234; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, वडोदरा बनाम धीरेन केमिकल्स इंडस्ट्रीज (2002) 2 एस. सी. सी. 127; सहायक आयकर आयुक्त (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.

ई.

1461 – संदर्भित किया गया।

निर्णीत विधि संदर्भ

च

[1969] 2 एससीआर **481**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(2003) 9 एससीसी **234**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(1999) 7 एससीसी **84**

पर भरोसा किया

पैरा **17**

[1996] 5 पूरक एस**.** सी**.** आर**. 755** पर निर्भर

पैरा **18 (2002) 2** एस**.** सी**.** सी**. 127** पैरा **20** पैरा **21** में निर्दिष्ट है।

जी.

(2004) 6 एस**.** सी**.** सी**. 719**

पर भरोसा किया

[2008] 14 एससीआर **653**

पीछा किया।

पैरा **22**

[2012] 12 एससीआर **975**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

(2006) 9 एस**.** सी**.** सी**. 556**

पर भरोसा किया

पैरा **30**

एच.

[2005] 3 एससीआर **881**

पर भरोसा किया

पैरा **31** ए

31

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2018 की सिविल अपील संख्या 6891।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.2017 से अपील सं। ई/50664/2015।

बीर सिंह, ए. एस. जी., एम. के. मारोरिया, रुपेश कुमार, देवाशीष भारुका, समर वीर सिंह, प्रसेनजीत महापात्रा, नमन टंडन, श्याम गोपाल, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. सुनील, जगदीश एन., सुदर्शन सिंह रावत, सनी सचिन रावत, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

ग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट**,** जे।

1. वर्तमान दीवानी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ("सी. ई. एस. टी. ए. टी".) द्वारा पारित दिनांक 30.11.2017 के विवादित आदेश से उत्पन्न होती है।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अपीलार्थी-राजस्व द्वारा निर्धारिती-प्रत्यर्थी को जारी किए गए कारण दर्शाअ नोटिस को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि उसने संबंधित पक्ष लेनदेन के मूल्यांकन का गलत तरीका अपनाया था।

डी.

ए. वास्तविक पृष्ठभूमि

ई.

2. निर्धारिती सजावटी लैमिनेट्स और इसी तरह की अन्य सामग्रियों के निर्माण में शामिल है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 48 के तहत आते हैं।उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के रूप में, जिस मूल्य पर प्रत्यर्थी इन वस्तुओं को बेच रहा था, वह अपीलार्थी द्वारा वसूली योग्य कर की राशि का निर्धारक होगा।वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए निर्धारिती के संचालन पर किए गए ऑडिट के बाद, इन वस्तुओं को जिन कीमतों पर बेचा जा रहा था, उनके संदर्भ में विसंगतियों का पता चला।माल की पेशकश न केवल प्रतिवादी से असंबद्ध स्वतंत्र पक्षों को की जा रही थी, बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (3) (बी) (आई) के तहत परिभाषित "मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड" ("एम. आई. एल".) और "मेरिनो सर्विसेज लिमिटेड" ("एम. एस. एल".) नामक दो "संबंधित पक्षों" को भी की जा रही थी।

च

जी.

1 खंड 4.शुल्क प्रभारित करने के उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन

उत्पाद शुल्क-(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, (क) "निर्धारिती" का अर्थ है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

एच.

क.

व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969। 2 यह पता लगाया गया कि प्रत्यर्थी एम. आई. एल. की सहायक कंपनी थी और उसकी हिस्सेदारी का 74.65% एम. आई. एल. में निहित था।एमएसएल के संबंध में, निर्धारिती का इसके संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया और दोनों कंपनियों ने निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को साझा किया।

3. निर्धारिती द्वारा गैर-संबंधित स्वतंत्र संस्थाओं को की गई बिक्री की तुलना में इन संबंधित संस्थाओं को की गई बिक्री का कम मूल्यांकन पाया गया।इस कृत्रिम अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अपने संबंधित पक्ष की संस्थाओं को माल बेचते समय निर्धारिती द्वारा जानबूझकर मूल्य में अपस्फीति के कारण उत्पाद शुल्क के संग्रह में कमी आई।इसलिए, तब लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क की सही राशि की गणना करने के लिए उत्पाद शुल्क सामग्री का आकलन योग्य मूल्य स्थापित किया जाना था।4. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का आकलन योग्य मूल्य सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम बाद के चरण में बार-बार इस प्रावधान का उल्लेख करेंगे, इस बिंदु पर इसके प्रासंगिक हिस्से का पुनरुत्पादन आवश्यक हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

खंड **4.**उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन।**-**

(1) जहां इस अधिनियम के तहत**,** किसी भी उत्पाद शुल्क का शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क के मूल्य के संदर्भ में लगाया जाता है**,** तो माल के प्रत्येक हटाने पर**,** ऐसा मूल्य **-**

ई.

(क**)** ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा माल बेचा जाता है**,** हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए**,** निर्धारिती और माल का खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है**,** लेनदेन मूल्य हो**;**

च

(ख**)** किसी अन्य मामले में**,** जिसमें वह मामला भी शामिल है जहां माल नहीं बेचा जाता है**,** मूल्य उस तरीके से निर्धारित किया जाता है जो निर्धारित किया जाए।

(बी) व्यक्तियों को "संबंधित" माना जाएगा यदि-(i) वे आपस में जुड़े उपक्रम हैं;

जी.

स्पष्टीकरण **-**

2 2.परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-(छ) "आपस में जुड़े उपक्रम" से दो या दो से अधिक उपक्रम अभिप्रेत हैं जो निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

... ए.

33

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

स्पष्टीकरण**.-** संदेहों को दूर करने के लिए**,** यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा बेचे गए उत्पाद शुल्क का मूल्य**-**सह**-**शुल्क**,** बेचे गए माल के लिए उसे वास्तव में भुगतान की गई कीमत और ऐसी वस्तुओं की बिक्री के संबंध में खरीदार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती को प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त प्रतिफल का धन मूल्य**,** यदि कोई हो**,** होगा और बिक्री कर और अन्य करों को छोड़कर**,** यदि कोई हो**,** तो वास्तव में भुगतान किए गए मूल्य**-**सह**-**शुल्क में ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क शामिल माना जाएगा।

5. उप-धाराओं के शब्दों से संकेत मिलता है कि सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) स्वतंत्र पक्षों को बिक्री के लिए प्रासंगिक है, जबकि धारा 4 (1) (बी) संबंधित पक्षों को की गई बिक्री सहित अन्य सभी मामलों को संबोधित करती है।इस तथ्य के कारण कि वर्तमान मामले में बिक्री प्रत्यर्थी द्वारा स्वतंत्र और संबंधित दोनों पक्षों को की गई थी, धारा 4 (1) के बाद के भाग को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उपयोग योग्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 ("सीईवीआर") के साथ पढ़ा गया था।6. राजस्व द्वारा जारी कारण दर्शाओ नोटिस में कहा गया है कि सी. ई. वी. आर. में वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य की खोज के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, जब स्वतंत्र पक्षों और संबंधित पक्षों दोनों को आंशिक रूप से बिक्री की जाती है।हमारे उद्देश्यों के लिए सी. ई. वी. आर. के भीतर प्रत्येक प्रावधान को पार करना आवश्यक नहीं है। कारण दर्शाओ नोटिस ने जांच के दायरे को नियम 4 और 9-11 तक सीमित कर दिया, जो नीचे दिए गए हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

नियम **4.**

उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य निर्धारिती द्वारा निर्धारण के तहत माल को हटाने के समय के निकटतम किसी अन्य समय पर वितरण के लिए बेचे गए ऐसे माल के मूल्य पर आधारित होगा**,** बशर्ते**,** यदि आवश्यक हो**,** तो ऐसे माल और निर्धारण के तहत उत्पाद शुल्क योग्य माल के वितरण की तारीखों में अंतर के कारण ऐसे समायोजन के लिए**,** जो उचित लगे।

च

जी.

नियम **9.**

जब निर्धारिती इस प्रकार व्यवस्था करता है कि किसी निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क को उसके माध्यम से या उसके अलावा नहीं बेचा जाता है।

एच.

एक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा **4** की उप**-**धारा **(3)** के खंड **(**बी**)** के उप**-**खंड **(ii), (iii)** या **(iv)** में से किसी एक में निर्दिष्ट तरीके से संबंधित है**,** माल का मूल्य सामान्य लेनदेन मूल्य होगा जिस पर संबंधित व्यक्ति द्वारा इन्हें हटाने के समय खरीदारों **(**संबंधित व्यक्ति नहीं होने के कारण**)** को बेचा जाता है**;** या जहां ऐसी वस्तुएं ऐसे खरीदारों को नहीं बेची जाती हैं**,** उन खरीदारों **(**संबंधित व्यक्ति होने के नाते**)** को**,** जो खुदरा में ऐसी वस्तुएं बेचते हैंः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां संबंधित व्यक्ति माल नहीं बेचता है**,** लेकिन वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण में ऐसी वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करता है**,** मूल्य नियम **8** में निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

ग

नियम **10.**

जब निर्धारिती इस प्रकार व्यवस्था करता है कि उसके द्वारा उत्पाद शुल्क को किसी परस्पर जुड़े उपक्रम को या उसके माध्यम से बेचे जाने के अलावा नहीं बेचा जाता है**,** तो माल का मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा**,** अर्थात्ः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

डी.

(क**)** यदि उपक्रम इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे अधिनियम की धारा **4** की उप**-**धारा **(3)** के खंड **(**ख**)** के उपखंड **(i)** या **(iii)** या **(iv)** के संदर्भ में भी संबंधित हैं या खरीदार एक धारक कंपनी या सहायक है।

ई.

स्पष्टीकरण**.–** इस खंड में "धारक कंपनी" और "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम**, 1956 (1956** का **1)** में है।

च

(ख**)** किसी अन्य मामले में**,** मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि वे धारा **4** की उप**-**धारा **(1)** के प्रयोजन के लिए संबंधित व्यक्ति नहीं हैं।नियम **11.**

जी.

यदि पूर्वगामी नियमों के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है**,** तो इन नियमों के सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों और अधिनियम की धारा **4** की उप**-**धारा **(1)** के अनुरूप उचित साधनों का उपयोग करके मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

एच.

35

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

7. निकाले गए प्रावधानों को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि नियम 9 और 10 केवल उन स्थितियों में लागू होते हैं जहां माल की पूरी खेप किसी संबंधित पक्ष को बेची जाती है।यह सामान्य रूप से वर्तमान मामले में उन नियमों की प्रयोज्यता को बाहर कर देता, यह देखते हुए कि निर्धारिती अपने उत्पादों को आंशिक रूप से स्वतंत्र और संबंधित खरीदारों दोनों को बेच रहा था।एकमात्र शेष विकल्प नियम 11 का सहारा लेना होता, अवशिष्ट प्रावधान जो उन परिदृश्यों को संबोधित करता है जो अन्यथा सीईवीआर द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। नियम सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) को संदर्भित करता है और सी. ई. वी. आर. के "सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों" को ध्यान में रखते हुए माल के आकलन योग्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

8. कारण दर्शाओ नोटिस में राजस्व ने धारा 4 (1) (ए) के साथ पठित नियम 11 को विधिवत लागू किया और पहले के निर्णय पर भी भरोसा किया

ग

एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशंस बनाम सी. सी. ई. में सी. ई. एस. टी. ए. टी., बैंगलोर। 3 यह

इस बात पर ध्यान दिया गया कि न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील में की थी।4 इसके बल पर, कारण दर्शाओ नोटिस में कहा गया है कि स्वतंत्र खरीदारों को बेचे गए माल के लेनदेन मूल्य को निर्धारिती द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं को की गई बिक्री पर स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उचित उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जा सके।दोनों कीमतों के बीच तुलना करने के बाद, राजस्व ने निर्धारित किया कि संबंधित पक्षों को बिक्री का अवमूल्यन रु। 24,14,05,257, और इसके परिणामस्वरूप रुपये के भुगतान में कमी आई। 3,15,13, उत्पाद शुल्क में 343।इसके अलावा, जिन कीमतों पर माल बेचा जा रहा था, उनमें अंतर के कथित दमन के कारण, सी. ई. ए. की धारा 11ए (1) और (4) के प्रावधान के तहत 5 साल की सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान किया गया था। 5.

डी.

ई.

9. निर्धारिती ने आयुक्त के समक्ष नोटिस की सामग्री पर विवाद किया।उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि राजस्व ने सी. ई. वी. आर. के नियम 11 को गलत तरीके से लागू किया था, जिसे सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के साथ पढ़ा गया था, ताकि प्रतिवादी को बेचे गए सामान का मूल्य निर्धारित किया जा सके।

च

3 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ई. जी. ए. टी. 119. 4 2006 (193) ईएलटी ए197 (एससी)।

5 धारा **11** ए। शुल्कों की वसूली जो नहीं लगाई गई या भुगतान नहीं की गई या अल्पकालिक या अल्पकालिक भुगतान या गलती से वापस की गई।**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

जी.

(1) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है, धोखाधड़ी या मिलीभगत के कारण या किसी भी जानबूझकर गलत कथन या

तथ्यों का दमन या शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन के अलावा, -

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर, उस शुल्क के लिए प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो इस प्रकार नहीं लगाया गया है या

एच.

बहन की चिंताएँ।विभाग ने स्वयं 01.07.2002 6 पर एक परिपत्र जारी किया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि स्वतंत्र और संबंधित खरीदारों दोनों को बिक्री करते समय मूल्यांकन कैसे किया जाना था।परिपत्र में कहा गया हैः

ग

डी.

भुगतान किया गया है या जिसे इतना कम-भुगतान या कम-भुगतान किया गया है या जिसे गलती से धनवापसी की गई है, जिसके लिए उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए;

ई.

(ख) शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति, खंड (क) के तहत नोटिस की सेवा से पहले, के आधार पर भुगतान कर सकता है -

((i) अपने स्वयं के कर्तव्य का निर्धारण; या

((ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क, धारा 11 एए के तहत देय ब्याज के साथ शुल्क की राशि।

च

...

(4) जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम कर दिया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, -

((क) धोखाधड़ी; या

((ख) संलिप्तता; या

((ग) कोई जानबूझकर गलत कथन; या

((घ) तथ्यों का दमन; या

जी.

(ई) शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन,

शुल्क के साथ प्रभार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, प्रासंगिक तिथि से पांच साल के भीतर, ऐसे व्यक्ति को नोटिस देगा जिसमें उससे यह कारण दिखाने की आवश्यकता होगी कि उसे धारा 11 एए के तहत देय ब्याज के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए और नोटिस में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर जुर्माना देना चाहिए।

6 नं. 643/34/2002-CX A

एच.

37

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

10. निर्धारिती ने यह रुख अपनाया कि संबंधित पक्षों को बेचे गए माल के लिए लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए कारण बताएँ नोटिस में अपनाई गई मूल्यांकन विधि परिपत्र के विपरीत थी।इस परिपत्र का पालन सी. ई. एस. टी. ए. टी., अहमदाबाद ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई., सूरत 7 में किया था, जिसमें न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया था कि मूल्यांकन करने के लिए बिंदु संख्या 12 में उल्लिखित सूत्र का किसी भी न्यायिक मंच द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया था।इस प्रकार, विभाग के लिए अपने स्वयं के प्रशासनिक निर्देशों के खिलाफ जाना खुला नहीं था और सीईवीआर की राजस्व की व्याख्या के विपरीत होने के कारण कारण बताए जाने का नोटिस दोषपूर्ण और शुरू से ही अमान्य था।

ग

11. आयुक्त ने इस तर्क को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि कारण दर्शाओ नोटिस ने स्वतंत्र खरीदारों से ली गई कीमत से संबंधित पक्षों को बिक्री के लेनदेन मूल्य को अलग करके नियम 11 की भावना का पालन किया था।इसने आकलन योग्य मूल्य पर पहुँचते समय नियम 11 के तहत "उचित साधनों" का उपयोग करने की आवश्यकता को पूरा किया, और यह सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के अनुरूप भी था। इस दृष्टिकोण की शुद्धता के लिए आगे समर्थन सी. ई. एस. टी. ए. टी. न्यायाधिकरणों द्वारा विभिन्न होल्डिंग्स से लिया गया था, जिसमें एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशंस (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय भी शामिल था।आयुक्त ने जोर देकर कहा कि राजस्व द्वारा लागू मूल्यांकन पद्धति की शुद्धता के संबंध में 01.07.2002 के परिपत्र और निष्कर्षों के बीच कुछ भी असंगत नहीं था।

डी.

ई.

12. आखिरकार, कारण दर्शाओ नोटिस में मांग की पुष्टि की गई, साथ ही रुपये के जुर्माने के साथ। 2,34,42,050 और ब्याज ने निर्धारिती को सी. ई. एस. टी. ए. टी., चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने आयुक्त द्वारा पारित पुष्टिकरण आदेश को दरकिनार कर दिया और अभिनिर्धारित करते हुए प्रत्यर्थी की अपील की अनुमति दी:

च

i) सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) लागू नहीं थी क्योंकि यह विशेष रूप से स्वतंत्र खरीदारों को की गई बिक्री को संदर्भित करती है।वर्तमान मामले में निर्धारिती द्वारा संबंधित खरीदारों को की गई बिक्री के हिस्से के रूप में, इसके बजाय धारा 4 (1) (बी) पर निर्भरता रखी जानी थी;

जी.

ii) आई. डी. 1 के सी. बी. ई. सी. परिपत्र ने वस्तुओं की बिक्री के समय मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया।

7 2009 एससीसी ऑनलाइन सी. ई. एस. टी. ए. टी. 3384।

एच.

38

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

स्वतंत्र और संबंधित खरीदारों दोनों के लिए बनाया गया अर्थात सी. ई. वी. आर. के नियम 9 या 10 के साथ पढ़े गए नियम 11 का सहारा लेना;

iii) रिलायंस इंडस्ट्रीज (सुप्रा) में सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने पुष्टि की थी कि

परिपत्र में दिए गए सूत्र का उपयोग।निर्णय में

एक्वामॉल वाटर सॉल्यूशंस (सुप्रा)

आयुक्त तथ्यों पर अलग था, क्योंकि उस मामले में विवाद में विशेष रूप से केवल संबंधित पक्षों को माल का हस्तांतरण शामिल था;

iv) राजस्व द्वारा कारण दर्शाअ नोटिस में सी. ई. वी. आर. के नियम 11, जिसे सी. ई. ए. के नियम 4 और धारा 4 (1) (ए) के साथ पढ़ा जाता है, पर भरोसा करके माल के मूल्य का आकलन करने की मांग की गई थी। यह सी. बी. ई. सी. परिपत्र के विपरीत था और नोटिस को दोषपूर्ण और अप्रवर्तनीय बना दिया।

ग

v) नतीजतन, एक दोषपूर्ण कारण दस्सो नोटिस की पुष्टि करने वाले आयुक्त के आदेश को भी अनिवार्य रूप से दरकिनार करना होगा।

डी.

अपीलार्थी-राजस्व अब हमारे समक्ष अपील में है।

B. प्रस्तुतियाँ

ई.

13. अपर सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने निम्नलिखित आधारों पर सी. ई. एस. टी. ए. टी. के विवादित आदेश पर हमला किया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -i) इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती द्वारा संबंधित पक्षों को की गई बिक्री का कम मूल्यांकन किया गया था;

च

(ii) कानून में ऐसा कोई विशिष्ट तरीका होने की आवश्यकता नहीं है जिसमें संबंधित धाराओं और/या नियमों को कारण दर्शाएँ नोटिस में उद्धृत किया गया हो।नियम 9, जिसका सी. ई. एस. टी. ए. टी. निष्कर्ष निकालता है कि इस मामले में उपयुक्त प्रावधान है, का उल्लेख कारण दिखाएँ में किया गया था;

जी.

iii) भले ही यह माना जाए कि कारण बताए जाने के नोटिस में प्रासंगिक नियमों को पर्याप्त रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं है।

एच.

39

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

इसकी वैधता पर।यह लंबे समय से इस न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है

जे. के. स्टील लिमिटेड बनाम में क्रमिक निर्णय।भारत संघ **8** और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता बनाम प्रद्युम्न स्टील

लिमिटेड 9 कि किसी शक्ति के स्रोत के रूप में केवल एक गलत प्रावधान का आह्वान अप्रासंगिक है, बशर्ते कि शक्ति वास्तव में मौजूद हो;(iv) कारण दर्शाओ नोटिस में केवल सी. ई. ए. की धारा 4 (1) की भावना के अनुरूप स्वतंत्र बिक्री मूल्य और माल के लिए उचित आकलन योग्य मूल्य का पता लगाने की सबसे उपयुक्त विधि का हवाला दिया गया है।

v) किसी भी मामले में, सी. ई. वी. आर. का नियम 9 वर्तमान विवाद के विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य को शामिल नहीं कर सकता है जिसमें स्वतंत्र और संबंधित दोनों पक्षों को की गई बिक्री शामिल है, क्योंकि प्रावधान का दायरा केवल बाद वाले को की गई बिक्री तक ही सीमित है।

ग

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री एस. सुनील ने निम्नलिखित की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आयोजन का समर्थन किया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

i) 01.07.2002 का सी. बी. ई. सी. परिपत्र स्वतंत्र और संबंधित खरीदारों दोनों को बिक्री प्रभावित होने पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य का पता लगाने के लिए सी. ई. वी. आर. के नियम 9 या 10 के साथ पढ़ने वाले नियम 11 के उपयोग को अनिवार्य करता है।

ई.

(ii) परिपत्र राजस्व पर बाध्यकारी है और उनके लिए इसके विपरीत रुख अपनाना खुला नहीं है।उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि विभाग अपने स्वयं के प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन में कार्य नहीं कर सकता है जैसा कि उसके परिपत्रों में निहित है।

च

iii) परिपत्र से किसी भी प्रस्थान के लिए या तो इसमें संशोधन या वापसी की आवश्यकता होती।चूंकि राजस्व ने न तो ऐसा किया है, इसलिए उनके लिए वैकल्पिक रुख अपनाने की गुंजाइश नहीं है।

iv) इसके अलावा, कारण बताएँ नोटिस में सी. ई. वी. आर. के नियम 4 को लागू किया गया है जो केवल तभी लागू होता है जब कारखाने से हटाने के समय माल की बिक्री नहीं होती है।वहाँ है।

जी.

8 (1969) 2 एससीआर 481। 9 (2003) 9 एससीसी 234।

एच.

इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि बिक्री निर्धारिती द्वारा खुद को हटाने के समय प्रभावी थी;

v) चाहे कारण दर्शाओ नोटिस दोषपूर्ण हो, सी. ई. ए. के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान और जुर्माना लगाना अनुचित है।

दोनों पक्षों की सहायता से लाभान्वित होने के बाद, अब हम उनके प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच कर सकते हैं।

सी. विश्लेषण

सी. 1.बी. सी. इरकुलर्स का इंडिंग एन अटूर जो मैंने डी. ई. पी. ए. आर. टी. एम. टी. द्वारा सुरक्षित किया था

ग

15. पहली बार में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-राजस्व और प्रत्यर्थी-निर्धारिती की दलीलें दो अलग-अलग आधारों पर हैं।जबकि पहला सी. ई. वी. आर. के गलत हिस्से के आह्वान के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस को अलग करने के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दिए गए विशिष्ट तर्क पर हमला करता है, दूसरा स्वयं राजस्व द्वारा जारी सी. बी. ई. सी. परिपत्र की बाध्यकारी प्रकृति से अधिक चिंतित है।

डी.

16. यह स्पष्ट है कि बाद वाला प्रश्न इस मुद्दे के बजाय मामले के केंद्र में जाता है कि क्या कारण बताएँ नोटिस स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने में विफलता के लिए कानूनी रूप से असमर्थनीय हो जाता है कि माल का मूल्यांकन सीईवीआर के नियम 9 के साथ पठित नियम 11 के तहत किया जाना है। विद्वान ए. एस. जी. द्वारा दिए गए कानूनी प्रस्ताव पर, हम आसानी से पुष्टि करते हैं कि शक्ति के गलत स्रोत का उल्लेख स्वयं शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करता है, बशर्ते कि शक्ति शुरू में प्राधिकरण में निहित हो।17. हालाँकि, अतिरिक्त रूप से यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी ने अपने ही परिपत्र का उल्लंघन किया है।इसका कारण यह है कि जबकि एक गलत प्रावधान का उद्धरण, अपने आप में, कारण बताएँ नोटिस को अमान्य नहीं कर सकता है, लेकिन एक बाध्यकारी परिपत्र का उल्लंघन जो एक विशेष पद्धति का पालन करने के लिए अनिवार्य है।इस तरह के प्रशासनिक/कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए सी. ई. ए. के तहत शक्ति धारा 37 बी में निहित है। 10 इस तरह की बाध्यकारी प्रकृति

ई.

च

10 धारा 37 ख। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को निर्देश।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के तहत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, यदि वह उत्पाद शुल्क के वर्गीकरण में एकरूपता के उद्देश्य से या ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने के संबंध में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को ऐसे आदेश, निर्देश और निर्देश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और ऐसे अधिकारी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) में कार्यरत अन्य सभी व्यक्ति।

एच.

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

इस न्यायालय द्वारा परिपत्रों को लंबे समय से स्वीकार किया गया है।पेपर में

प्रोडक्ट्स लिमिटेड वी.केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त **11** का स्थायी पद

कानून के इस बिंदु पर निम्नलिखित परिच्छेद में उल्लेख किया गया हैः

"4. इन अपीलों में हमारे विचार के लिए प्रश्न यह हैःकेंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम**, 1944** की धारा **37-**बी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों की वास्तविक प्रकृति और प्रभाव क्या है**?**इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखते हुए यह प्रश्न अब समग्र नहीं है।इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि उक्त अधिनियम की धारा **37-**बी के तहत जारी किए गए परिपत्र विभाग के लिए बाध्यकारी हैं और विभाग को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इन निर्णयों में यह भी कहा गया है कि ऐसे निर्धारिती के संबंध में स्थिति अलग हो सकती है जो ऐसे निर्देशों की वैधता या वैधता को चुनौती दे सकता है**,** लेकिन जहां तक विभाग का संबंध है**,** ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं है।"

ग

डी.

18. राजस्व के लिए अपने स्वयं के प्रशासनिक निर्देशों और सी. ई. ए. और सी. ई. वी. आर. के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या का पालन करने की आवश्यकता के पीछे के तर्क पर रानाडे में टिप्पणी की गई थी।

सूक्ष्म पोषक तत्व और अन्य।केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर **12:"15.** इन परिस्थितियों में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पहले और बाद के परिपत्र बोर्ड द्वारा धारा **37** बी के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे**,** और इस तथ्य का कि वे ऐसा नहीं करते हैं**,** इसका मतलब यह नहीं है कि वे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को बाध्य नहीं करते हैं या चरित्र में सलाहकार नहीं बनते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि **21** नवंबर**, 1994** के बाद इन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है।

ई.

च

इस अधिनियम का निष्पादन उक्त बोर्ड के ऐसे आदेशों, निर्देशों और निर्देशों का पालन और पालन करेगाः

जी.

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश, निर्देश या निर्देश जारी नहीं किया जाएगा -क) ताकि किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से कोई विशेष आकलन करने या किसी विशेष मामले को किसी विशेष तरीके से निपटाने की अपेक्षा की जा सके; या

ख) ताकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के अपीलीय कार्यों के प्रयोग में उनके विवेक में हस्तक्षेप किया जा सके।

11 (1999) 7 एससीसी 84।

12 (1996) 10 एससीसी 387।

एच.

सूक्ष्म पोषक तत्व केवल "अन्य उर्वरक" के रूप में **31.05** शीर्षक के प्रावधानों के तहत हैं।यदि बाद का परिपत्र क़ानून की शर्तों के विपरीत है**,** तो इसे वापस लिया जाना चाहिए।जबकि बाद का परिपत्र चालू रहता है**,** राजस्व इसके लिए बाध्य है और इसे यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह वैध नहीं है।

16. हम राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में काम करने वाले एम**.** के**.** गुप्ता द्वारा दिए गए हलफनामे में इसके विपरीत प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हैं।किसी को यह सोचना चाहिए था कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी को बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के लिए अधिक सम्मान होगा**,** जो वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में भी काम करता है**,** क्योंकि यह बोर्ड है जिसे क़ानून द्वारा**,** उत्पाद शुल्क वस्तुओं को समान रूप से वर्गीकृत करने का कार्य सौंपा गया है।इस तरह के परिपत्रों का पूरा उद्देश्य एक समान प्रथा को अपनाना और व्यापार को यह सूचित करना है कि किसी विशेष उत्पाद को उत्पाद शुल्क के उद्देश्यों के लिए कैसे माना जाएगा।बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र को इस आधार पर अस्वीकार करना राजस्व के मुँह में नहीं है कि यह एक वैधानिक प्रावधान के साथ असंगत है।अदालती कार्यवाही के जीतने या हारने की तुलना में निरंतरता और अनुशासन का कहीं अधिक महत्व है।**"**

ग

डी.

ई.

19. इस प्रकार, इस प्रश्न पर हमारे विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु यह है कि 01.07.2002 का CBEC परिपत्र राजस्व पर बाध्यकारी है।यदि राजस्व द्वारा जारी कारण दर्शाओ नोटिस परिपत्र के विपरीत पाया जाता है, तो प्रथम दृष्टया एकरूपता और निरंतरता को निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर रानाडे सूक्ष्म पोषक तत्वों (सुप्रा) में दृढ़ता से जोर दिया गया है।यह कहने की जरूरत नहीं है कि अपने स्वयं के परिपत्र के खिलाफ राजस्व का रुख संभावित रूप से एक अराजक स्थिति का कारण बन सकता है, जहां एक ओर राजस्व संबंधित कानूनों और नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्देश देगा, और दूसरी ओर, वह तुरंत उन निर्देशों की अवज्ञा करेगा।कराधान कानून में पूर्वानुमेयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और, इस कारण से, न्यायालय को राजस्व के उस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो अपने स्वयं के परिपत्र को कम करता है क्योंकि यह पूरी तरह से कागजी उत्पादों में उल्लिखित निषेध की रूपरेखा के भीतर आता है।

च

जी.

एच.

(सुप्रा)।

43

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

सी**. 2.**सी ऑनफ्लिट बी ई**.** टी**.** डब्ल्यू**.** ई**.** एन**.** ए**.** सी**.** इरकुलर**,** और ए**.** जे**.** एडजमेन्ट एंड/या टी**.** एच**.** ई**.** एस**.** टैटू

20. जबकि विभाग के हाथ इसके परिपत्रों के संबंध में बंधे हुए हैं, अदालतों और न्यायाधिकरणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायनिर्णायक निकायों पर यह दायित्व है कि वे राजस्व की व्याख्या के बिना कानून की सही स्थिति का पता लगाएं, जैसा कि इसके प्रशासनिक निर्देशों में स्पष्ट किया गया है।इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर**,** वडोदरा बनाम धीरेन केमिकल्स

उद्योग **13** ने सी**.** ई**.** ए**.** के तहत जारी एक छूट अधिसूचना की व्याख्या करते हुए अपने फैसले के पैरा **11** में उल्लेख किया था कि **".**

व्याख्या जो हमने उक्त वाक्यांश **["**उपयुक्त**"]** पर रखी है**,** यदि ऐसे परिपत्र हैं जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं जो उक्त वाक्यांश पर एक अलग व्याख्या करते हैं**,** तो वह व्याख्या राजस्व पर बाध्यकारी होगी।**"**

ग

21. धीरेन केमिकल्स (सुप्रा) ने बाद में कुछ

डी.

अनिश्चितता, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए पैराग्राफ की व्याख्या इस अर्थ में की गई थी कि राजस्व द्वारा जारी परिपत्र बाध्यकारी बने रहेंगे, भले ही वे इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात के खिलाफ हों।हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस परिच्छेद के पीछे का असली इरादा कल्याणी में स्पष्ट किया गया था।

पैकेजिंग उद्योग बनाम भारत संघ **14** यह देखते हुए कि:**"6.** हमने देखा है कि धीरेन केमिकल के मामले के पैरा **9 (**एससीसी में पैरा **11)** को गलत समझा जा रहा है।इसलिए धीरेन केमिकल के मामले के पैरा **9** को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। हममें से एक **(**वरियावा**,** जे**.)** धीरेन केमिकल के मामले के फैसले में एक पक्ष था और जानता है कि पैरा **9** को शामिल करने का इरादा क्या था।यह याद रखना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून देश का कानून है।इस प्रकार निर्धारित कानून सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और निकायों के लिए बाध्यकारी है।यह स्पष्ट है कि बोर्ड के परिपत्र इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर हावी नहीं हो सकते हैं।हालांकि**,** यह बताया गया कि धीरेन केमिकल के मामले की सुनवाई के दौरान कई मामलों में बोर्ड के परिपत्रों के कारण विभाग ने मंजूरी दे दी थी

ई.

च

जी.

13 (2002) 2 एससीसी 127। 14 (2004) 6 एससीसी 719।

एच.

छूट अधिसूचनाओं के लाभ।यह प्रस्तुत किया गया था कि धीरेन केमिकल के मामले में इस अदालत द्वारा दी गई व्याख्या पर**,** राजस्व मामलों को फिर से खोलने की संभावना थी।इस प्रकार पैरा **9** को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था कि जिन मामलों में छूट अधिसूचना का लाभ पहले ही दिया जा चुका है**,** राजस्व बाध्य रहेगा।इसका उद्देश्य यह देखना था कि ऐसे मामलों को फिर से नहीं खोला जाए।हालांकि**,** इसका मतलब यह नहीं था कि उन मामलों में भी जहां राजस्व/विभाग ने पहले ही तर्क दिया था कि छूट अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं था**,** और मामला अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन था**,** न्यायालय या न्यायाधिकरण इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड के परिपत्रों को भी प्रभावी बनाएगा।जहां विवाद के परिणामस्वरूप मामला विचाराधीन है**,** एक न्यायालय/न्यायाधिकरण**,** धीरेन केमिकल के मामले के बाद**,** उस निर्णय में निर्धारित व्याख्या करने के लिए बाध्य है।अन्यथा ठहराने और सुझाए गए तरीके से व्याख्या करने का मतलब होगा कि न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को इस न्यायालय के फैसले की अनदेखी करनी होगी और बोर्ड के परिपत्रों का पालन करना होगा।धीरेन केमिकल के मामले के पैरा **9** का यही मतलब नहीं था।**"**

ग

डी.

ई.

22. इसके बाद, कानून की स्थिति जो अमल में आई, वह यह थी कि राजस्व विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या या अनुप्रयोग पर परिपत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन न्यायालय और न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देश के कानून के रूप में प्रभावी करेंगे।केंद्रीय आयुक्त में इस न्यायालय की एक और संविधान पीठ

आबकारी**,** बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज **15** ने एक रेखा खींची।

च

इस बिंदु पर भविष्य में किसी भी भ्रम के संबंध में रेत, निश्चित रूप से और निम्नानुसार आयोजित की गई हैः

"7. बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों के लिए कानून में बाध्यकारी हैं**,** लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कानून घोषित करता है**,** तो न्यायालय के लिए यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि परिपत्र होना चाहिए

जी.

15 (2008) 13 एससीसी 1.

एच.

45

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी निर्णय में व्यक्त विचार को प्रभावी और प्रभावी नहीं माना गया है।जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों/परिपत्रों का संबंध है**,** वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं।वे अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।यह घोषणा करना न्यायालय का काम है कि क़ानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है और यह कार्यपालिका के लिए नहीं है।एक अन्य कोण से देखने पर**,** एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है**,** वास्तव में कानून में मौजूद नहीं है।"

ग

23. विवाद का दूसरा पहलू इस बात से संबंधित है कि क्या सी. ई. वी. आर. के नियम 9 के सादे शब्द किसी भी तरह से परिपत्र को निरस्त करते हैं।इस बिंदु पर, 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस न्यायालय का एक बहुत ही हालिया निर्णय

सहायक आयकर आयुक्त **(**छूट**)** बनाम अहमदाबाद

शहरी विकास **16** ने रतन मेल्टिंग **(**सुप्रा**)** में संविधान पीठ सहित विभिन्न पिछले निर्णयों की व्याख्या प्रदान की है और यह निर्धारित किया है किः

डी.

"131. इस अदालत की राय में**,** केशवजी रवजी**,** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज में व्यक्त किए गए विचार **(**हालांकि अंतिम निर्णय में नवनीत लाल झवेरी का उल्लेख नहीं किया गया है**),** सही स्थिति को दर्शाते हैं**,** यानी कि परिपत्र विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं**,** अगर वे वैधानिक प्रावधान के ढांचे के भीतर एक प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं।हालाँकि**,** यदि वे किसी क़ानून के सादे शब्दों के विपरीत हैं**,** तो वे बाध्यकारी नहीं हैं।इसके अलावा**,** वे अदालतों को बाध्य नहीं कर सकते हैं**,** जिन्हें अपनी शर्तों में स्वतंत्र रूप से क़ानून की व्याख्या करनी होती है।इस तरह के कार्य में**,** उन्हें विषय पर विभागीय समझ के रूप में माना जा सकता है और उनका सीमित प्रेरक मूल्य हो सकता है।सबसे ऊपर**,** वे कर प्रशासकों और अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं**,** यदि वे क़ानून के साथ सहमत हैं और क़ानून के विपरीत नहीं हैं**;** सबसे बुरी बात यह है कि अगर वे क़ानून के स्पष्ट अर्थ में कटौती करते हैं**,** या अपनी स्पष्ट शर्तों के बावजूद उड़ते हैं**,** तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए।"

ई.

च

जी.

16 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1461

एच.

46

24. हालाँकि, जैसा कि हम नीचे विस्तार से बताएंगे, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि दिनांकित 01.07.2002 परिपत्र और CEVR के प्रावधानों के बीच कोई टकराव मौजूद है।किसी भी मामले में, ऊपर दी गई कानूनी पृष्ठभूमि में, भले ही हम यह निष्कर्ष निकालते हों कि कारण बताएँ नोटिस में जिन प्रावधानों पर भरोसा किया गया था, वे गलत थे, इस तरह का दोष ठीक किया जा सकता है और नोटिस को अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

25. जैसा कि विद्वान ए. एस. जी. द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए गलत पद्धति का आह्वान सूचना की वैधता के लिए महत्वहीन है बशर्ते कि शक्ति स्वयं मौजूद हो।इस मामले में, सी. ई. वी. आर. का अवशिष्ट नियम 11 सी. ई. ए. की धारा 4 (1) में निहित सिद्धांतों के अनुरूप माल के आकलन योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए आधार प्रदान करता है। इस प्रकार, शक्ति के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं है और न ही प्रतिवादी ने इससे इनकार किया है।

ग

26. हालाँकि, हमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के दायित्व के आधार और वास्तविक राशि के निर्धारण के बीच के अंतर को नहीं भूलना चाहिए।पहला वह आधार है जिस पर कारणदर्शक नोटिस निहित है और निर्धारिती के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए आधार बनाएगा।यदि नोटिस में पूरी तरह से अस्तित्वहीन और अप्रयोज्य आधारों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में कमी का आरोप लगाया जाता है, तो कार्यवाही इस सरल कारण से दूषित हो जाएगी कि निर्धारकों को अपने दायित्व की सटीक प्रकृति को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में जानने का अधिकार है।मूल्यांकनकर्ता केवल उन उल्लंघनों के आधार पर अपना बचाव करने के लिए एक प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं जो कारण दिखाने में बताए गए हैं।यदि, बाद में, राजस्व का तर्क है कि एक गलत प्रावधान का हवाला दिया गया था और वास्तव में देयता पूरी तरह से एक अलग स्रोत से उत्पन्न होती है, तो निर्धारिती को एक असमर्थनीय स्थिति में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसने केवल कारण बताए जाने के नोटिस में जो कहा गया था, उसका ही जवाब दिया होगा।

डी.

ई.

च

सी**. 3.**एम ईथोड ऑफ वी एलुएशन फॉर डी एटर्मिंग ए सेसेबल वी एलुए

27. रतन मेल्टिंग (सुप्रा) पर हमारी निर्भरता के आधार पर और

अहमदाबाद शहरी विकास (सुप्रा) हमारे पास संदेह करने का कोई कारण नहीं है

कि यदि कोई परिपत्र वैधानिक प्रावधानों के विपरीत या न्यायिक मंच द्वारा ऐसे प्रावधानों की व्याख्या की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, तो विचाराधीन परिपत्र को किसी भी बाध्यकारी बल से हटा दिया जाएगा।जिस बड़े सवाल का हमें जवाब

देना चाहिए वह यह है कि क्या 01.07.2002 का CBEC परिपत्र, सी. ई. ए. या सी. ई. वी. आर. के बिल्कुल विपरीत है। इस अभ्यास के लिए सी. ई. ए. की धारा 4 और सी. ई. वी. आर. के नियम 4,9 और 11 को बारीकी से पढ़ना आवश्यक है। नियम 4, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इस ए में लागू नहीं होता है।

जी.

एच.

47

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

यह उन स्थितियों को संबोधित करता है जहां निर्माता के कारखाने से हटाने के समय माल नहीं बेचा जाता है।इस मामले में, प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने स्वीकार किया कि सामान को हटाने पर ही बेच दिया, इसलिए नियम 4 की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

28. जब संबंधित पक्षों को बिक्री की जाती है तो नियम 9 उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन को संबोधित करता है।इस प्रकार, हम सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (बी) और सी. ई. वी. आर. के नियम 9 और 11 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी जाँच का यह अंतिम अंग स्वतंत्र और संबंधित खरीदारों दोनों को आंशिक बिक्री के मामलों में मूल्यांकन के लिए अपनाई गई विधि को निर्धारित करना होगा।चूंकि नियम 11 केवल सी. ई. वी. आर. के तहत सिद्धांतों को सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के साथ समग्र रूप से संदर्भित करता है, इसलिए यह तर्क योग्य है कि मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने के मामले में अभी भी एक अंतर है।सामान्य परिस्थितियों में, हो सकता है कि हमने यह जिम्मेदारी विभाग पर छोड़ दी हो, लेकिन मामले के इतिहास को देखते हुए, हम स्वयं रिक्तियों को भरना उचित समझते हैं।

ग

29. वास्तव में, इस समस्या का समाधान पहले से मौजूद है और यह सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के तहत मौजूद "मूल्य" की धारणा से लिया गया है।

डी.

यह न्यायालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम एफ. आई. ए. टी. इंडिया मामले में

(पी**)** लिमिटेड और अन्य। **17** ने धारा **4 (1)** द्वारा बनाई गई काल्पनिक कथा पर निम्नलिखित तरीके से टिप्पणी की हैः

“41. अधिनियम की धारा **4,** जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं**,** उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में उनके मूल्यांकन की बात करती है।धारा **4** में अन्य शर्तों के अधीन 'मूल्य' को 'सामान्य मूल्य' माना जाता है जिस पर सामान 'थोक व्यापार' के दौरान खरीदार को 'सामान्य रूप से' बेचा जाता है**,** जहां खरीदार 'संबंधित व्यक्ति' नहीं है और 'मूल्य' बिक्री के लिए 'एकमात्र प्रतिफल' है।इस पृष्ठभूमि में**,** इस मामले के उद्देश्य के लिए**,** अब हमें अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** में उपयोग किए गए 'मूल्य'**,** 'सामान्य मूल्य'**,** 'सामान्य रूप से बेचा गया' और 'एकमात्र प्रतिफल' शब्दों के अर्थ पर विचार करना होगा। **42.**उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में 'मूल्य' का अर्थ है सामान्य मूल्य या वह मूल्य जिस पर निर्धारिती द्वारा सामान को सामान्य रूप से किसी खरीदार को थोक व्यापार के दौरान उस समय और स्थान पर बेचा जाता है जब खरीदार संबंधित व्यक्ति नहीं होता है और

ई.

च

जी.

17 (2012) 9 एससीसी 332।

एच.

बिक्री के लिए एकमात्र विचार मूल्य है।एक अन्य तरीके से कहा जाए तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य के आधार पर देय है। आकलन योग्य मूल्य अधिनियम की धारा **4** और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमों के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

43. धारा **4 (1) (**ए**)** खरीदारों को उत्पाद शुल्क बेचने के लिए निर्धारिती की 'सामान्य कीमत' को उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से माल का मूल्य मानती है।अधिनियम के तहत 'सामान्य मूल्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

30. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद बनाम

ग

ज़ेरोग्राफिक लिमिटेड 18, जो संबंधित व्यक्तियों के बीच लेनदेन के संदर्भ में था, "सामान्य मूल्य" और "संबंधित पक्षों" से लिए गए मूल्य के बीच के अंतर को उजागर किया गया थाः

“6. धारा **4 (4) (**सी**)** "संबंधित व्यक्ति" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है और उक्त धारा को धारा **4 (1) (**ए**)** के तीसरे परंतुक के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।पूरे खंड को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि तीसरे परंतुक को लागू करने से पहले तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।पहला**,** ब्याज की पारस्परिकता होनी चाहिए**;** दूसरा**,** कि कथित संबंधित व्यक्ति अधिनियम में दी गई धारा **4 (4) (**सी**)** की परिभाषा के अनुसार निर्धारिती से संबंधित होना चाहिए और तीसरा**,** और महत्वपूर्ण रूप से**,** कि "संबंधित व्यक्तियों" से लिया गया मूल्य सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर सामान्य मूल्य नहीं था और अतिरिक्त-वाणिज्यिक विचारों के कारण लिया गया मूल्य सामान्य मूल्य से कम था।"

डी.

ई.

च

31. वर्तमान मामले में, ज़ेरोग्राफिक लिमिटेड (सुप्रा) में उल्लिखित कारकों को स्पष्ट रूप से पूरा किया गया है क्योंकि एम. आई. एल. और एम. एस. एल. पर अतिरिक्त-वाणिज्यिक विचारों के कारण स्वतंत्र खरीदारों पर लगाए गए मूल्य से कम शुल्क लगाया गया था।इसलिए, हम संबंधित पक्षों को बेची गई वस्तुओं की कीमत उस कीमत का अध्ययन करके निर्धारित कर सकते हैं जिस पर बिक्री की गई थी।

जी.

स्वतंत्र दलों के लिए बनाया गया।एस. ए. सी. आई. एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यू. पी. बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ 19 तथ्य बहुत समान थे।

18 (2006) 9 एससीसी 556। 19 (2005) 7 एससीसी 159।

एच.

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

क.

हमारे सामने मामला।निर्धारिती द्वारा बिक्री 'स्वतंत्र' और 'संबंधित' दोनों पक्षों को की गई थी और जो सवाल उठा था वह उन वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य को तय करने के बारे में था जिन्हें बाद की संस्थाओं को भेजा गया था।3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा किः

19. ...हम पहले ही पैराग्राफ में अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** और अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** के तीसरे परंतुक को निकाल चुके हैं।वर्तमान मामले में**,** अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सामान्य मूल्य उपलब्ध है और इस तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है।माल के उत्पादन का लगभग **35** प्रतिशत हिस्सा अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में फैले स्वतंत्र और असंबंधित विक्रेताओं को बेचा जाता है।इन बिक्री के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है।इन स्वतंत्र विक्रेताओं को अपीलकर्ताओं का बिक्री मूल्य प्रत्येक मामले में अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** की आवश्यकताओं को विधिवत पूरा करता है और इस तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है।उत्तर प्रदेश के अलावा स्थित स्वतंत्र विक्रेताओं को इन बिक्री के संबंध में**,** अपीलकर्ताओं ने इन विक्रेताओं को अपनी बिक्री मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है।यह तथ्यात्मक स्थिति प्रत्यर्थी द्वारा विवादित नहीं है।यह तर्क दिया गया कि एक बार जब अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी असंबंधित खरीदार के लिए ऐसा थोक मूल्य उपलब्ध हो जाता है**,** तो अपीलकर्ताओं द्वारा की गई सभी बिक्री के संबंध में केवल उस मूल्य को सामान्य मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए**,** जिसमें संबंधित व्यक्तियों को की गई बिक्री भी शामिल है। दूसरे शब्दों में**,** जहां निर्धारिती द्वारा थोक खरीदारों को बिक्री की जाती है जो असंबंधित हैं और उन खरीदारों को भी जो संबंधित हैं**,** तो असंबंधित खरीदारों को मूल्य को संबंधित खरीदारों को बिक्री के संबंध में भी उत्पाद शुल्क के भुगतान के आधार के रूप में अपनाया जाना चाहिए।ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** का तीसरा प्रावधान लागू नहीं होगा। चूंकि वर्तमान मामले में**,** स्वतंत्र विक्रेताओं के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध है**,** इसलिए इसे सिंडेट को बिक्री के संबंध में भी आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के आधार के रूप में माना जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

....

24-25.मामले के इस दृष्टिकोण में**,** प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ए**.** सुब्बा राव द्वारा दिए गए तर्क का कोई गुण नहीं है।वास्तव में**,** न्यायाधिकरण ने अपने आदेश द्वारा अपीलार्थियों और सिंडिकेट के बीच बिक्री की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया है।अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया कि सिंडेट का डिपो **1976** से मौजूद था और यह **1990** में अपीलकर्ताओं द्वारा सिंडेट को उत्पादों की बिक्री शुरू करने के बाद ही नहीं बनाया गया था। अपीलकर्ताओं ने इन प्रस्तुतियों के समर्थन में सिंडेट के डीलरों**,** ट्रांसपोर्टरों**,** कर्मचारियों के हलफनामे भी दायर किए। न्यायाधिकरण ने बिक्री को एक वास्तविक बिक्री के रूप में स्वीकार कर लिया है और यह स्वीकार कर लिया है कि स्वतंत्र विक्रेताओं के लिए मूल्य अधिनियम की धारा **4 (1) (**ए**)** के तहत उपलब्ध है**,** अपीलीय न्यायाधिकरण को सिंडेट को भी बिक्री के लिए स्वतंत्र विक्रेताओं को मूल्य की स्वीकृति के संबंध में अपीलकर्ताओं की प्रस्तुति को खारिज नहीं करना चाहिए था।"

ग

डी.

32. इस प्रकार, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्र खरीदारों से ली गई राशि संबंधित पक्षों को बेचे गए माल के उचित आकलन योग्य मूल्य की गणना करने के लिए बेंचमार्क बना सकती है।तथ्यों के बीच समानता को ध्यान में रखते हुए यह दृष्टिकोण बहुत सहायक है।

ई.

और एस. ए. सी. आई. संबद्ध उत्पादों (सुप्रा) और विवाद में उत्पन्न होने वाले मुद्दे

हमारे सामने।33. इससे हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, वह यह है कि सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के तहत सिद्धांत वस्तुओं के 'मूल्य' के निर्धारण के लिए तैयार किए गए हैं।धारा 4 (1) (ए) के तहत, उत्पाद शुल्क के उद्देश्यों के लिए माल का मूल्य, उन वस्तुओं का 'सामान्य मूल्य' माना जाता है जो व्यवसाय के दौरान 'सामान्य रूप से बेचे जाते हैं' और जहां मूल्य लेनदेन के लिए 'एकमात्र प्रतिफल' है।यह केवल तभी होता है जब इसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध लेनदेन के सेट से प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि हम धारा 4 (1) (बी) का सहारा लेते हैं।

च

जी.

34. धारा 4 (1) (ए) के तहत यह धारणा है कि एक निर्धारिती से एक स्वतंत्र पक्ष को बिक्री उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उचित मूल्यांकन है।इसके विपरीत, एक खंडन योग्य अनुमान ए हो सकता है

एच.

51

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

संबंधित पक्ष के लेन-देन और उस मूल्य के संबंध में तैयार किया जाए जिस पर ऐसी स्थितियों में माल बेचा जाता है।नियम 9 इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त होगा जब बिक्री केवल संबंधित संस्थाओं को की जाती है, लेकिन जहां स्वतंत्र और संबंधित दोनों पक्ष शामिल होते हैं, हमें अन्य साधनों का उल्लेख करना चाहिए।इस संदर्भ में, नियम 11 राजस्व को उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के तहत सिद्धांतों के अनुरूप "उचित साधनों" का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है।हम देखते हैं कि कारणदर्शक नोटिस और आयुक्त का आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि धारा 4 (1) (बी) लागू होती है क्योंकि निर्धारिती और एम. आई. एल. और एम. एस. एल. संबंधित पक्ष हैं।धारा 4 (1) (ए) को अप्रयोज्य माना गया था क्योंकि यह उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां पक्ष संबंधित नहीं हैं।

ग

35. हमारे सामने जो स्पष्ट स्थिति सामने आती है, वह यह है कि उत्पाद शुल्क की बिक्री के लिए स्वतंत्र पक्षों से ली गई कीमत का उपयोग संबंधित लेनदेन पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए एक मानक के रूप में किया जा सकता है, जब ऐसी कीमत आसानी से उपलब्ध हो।हालाँकि, हम इस चेतावनी को जोड़ते हैं कि स्थानांतरण के माध्यम से ऐसी गणना करते समय, राजस्व यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।संबंधित पक्ष लेनदेन के उचित मूल्य का मूल्यांकन प्रासंगिक सामग्री और विवेक के उचित अनुप्रयोग पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।स्वतंत्र खरीदारों को बिक्री की कीमत का उपयोग संबंधित पक्षों को बिक्री के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करने से पहले, कारण बताएँ नोटिस जारी करने और निर्धारिती द्वारा रखे गए विशिष्ट कारकों पर विचार करने की पूरी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।सी. ई. ए. की धारा 4 (1) के सामान्य सिद्धांत, जिन्हें सी. ई. वी. आर. के नियम 11 के साथ पढ़ा जाता है, उन मामलों में वस्तुओं के "सामान्य मूल्य" और "मूल्य" के निर्धारण के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए हैं जहां कोई वैकल्पिक पद्धति लागू नहीं है।यह दिनांकित 01.07.2002 परिपत्र के अनुरूप होने और सी. ई. ए. और सी. ई. वी. आर. के विभिन्न प्रावधानों के सामंजस्य के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है।

डी.

ई.

च

36. हमारे विश्लेषण का योग और सार यह है कि संबंधित पक्ष की बिक्री के लिए आकलन योग्य मूल्य सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) के तहत सामान्य मूल्य का उल्लेख करके स्थापित किया जा सकता है, जो वर्तमान मामले में आसानी से उपलब्ध है। यह, हमारी राय में, 01.07.2002 के परिपत्र में अंतर्निहित सही अर्थ और इरादा है।परिपत्र के बिंदु संख्या 12 में नियम 11 का संदर्भ केवल सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) और सी. ई. वी. आर. के नियम 9 को ध्यान में रखते हुए "उचित साधनों" के उपयोग को अनिवार्य करता है। यह केवल एक तरीका है जिसके द्वारा राजस्व को स्वतंत्र और संबंधित दोनों पक्षों को आंशिक बिक्री के मामले में अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है।

जी.

एच.

इस प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचा गया निष्कर्ष हमारे विश्लेषण के अनुरूप हो सकता है।

37. अंत में राजस्व के मूल्य के बावजूद, हम परिपत्र को किसी भी वैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं पाते हैं।ऐसा करने से बिंदु संख्या 12 अनिवार्य रूप से अप्रभावी हो जाएगा और आदर्श रूप से, इस तरह के परिणाम से जहां तक संभव हो, बचा जाना चाहिए।वास्तव में, आयुक्त का आदेश स्वतंत्र पक्षों को अपनी बिक्री के मूल्य के आधार पर प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं को की गई बिक्री का मूल्य निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है।हमारे विचार में, यह पूरी तरह से दिनांकित 01.07.2002 परिपत्र के वास्तविक इरादे के अनुरूप है, जो हम पहले ही मान चुके हैं कि सी. ई. ए. या सी. ई. वी. आर. के उल्लंघन में नहीं है।

ग

38. मामले का एकमात्र शेष पहलू सी. ई. ए. के तहत प्रत्यर्थी-निर्धारिती के खिलाफ लागू सीमा की विस्तारित अवधि है। सीमा अवधि बढ़ाने का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने तथ्यों को दबा दिया है और राजस्व को अपनी बिक्री के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।इस हद तक, निर्धारिती के खिलाफ तथ्य का निष्कर्ष है। साथ ही, हमारा विचार है कि चूंकि राजस्व स्वयं माल के मूल्यांकन के सही तरीके पर अस्पष्ट प्रतीत होता है, इसलिए प्रत्यर्थी को अतिरिक्त दायित्व, अर्थात् उत्पाद शुल्क के अलावा, देना उचित नहीं है।इसलिए, यद्यपि हम अपीलार्थी द्वारा की गई मांग की पुष्टि करते हैं, हम प्रत्यर्थी पर ब्याज और जुर्माना लगाने को मंजूरी नहीं देते हैं, और निर्देश देते हैं कि इन राशियों को निर्धारिती से कुल वसूली योग्य राशि से कम किया जाए।

डी.

ई.

D. निष्कर्ष

च

39. ऐसा करने के बाद, हम अब इस मामले को समाप्त कर सकते हैं।वर्तमान विवाद के प्रयोजनों के लिए, हमारे लिए यह स्पष्ट करना पर्याप्त है कि आई. डी. 1 के परिपत्र में बिंदु संख्या 12 सी. ई. ए. और सी. ई. वी. आर. के इरादे के विपरीत नहीं है और इसके पीछे का उद्देश्य सी. ई. वी. आर. के नियम 11 के तहत उल्लिखित "उचित साधनों" का उपयोग करना है, जो सी. ई. ए. की धारा 4 (1) (ए) और सी. ई. वी. आर. के नियम 9 के अनुरूप है, ताकि उत्पाद शुल्क के निर्धारण के लिए माल के आकलन योग्य मूल्य तक पहुंचा जा सके।

जी.

40. जब सामान्य मूल्य जो लेन-देन में आम तौर पर लिया जाता है, जहां मूल्य ही लेन-देन का एकमात्र विचार है, उपलब्ध होता है, जैसा कि यहां है, तो उस मूल्य को मूल्यांकन योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्ष की खरीद पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।अतः ए

एच.

53

COMMNR। केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर, रोहतक बनाम मेरिनो पैनल उत्पाद लिमिटेड। [सूर्या कान्ट, जे.]

प्रत्यर्थी की सहयोगी संस्थाओं को बेचे गए माल के मूल्य के संबंध में आयुक्त का आदेश इस न्यायालय के पहले के निर्णयों और 01.07.2002 दिनांकित परिपत्र के अनुरूप है।

41. हम उपर्युक्त शर्तों में दीवानी अपील की अनुमति देते हैं।42. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.